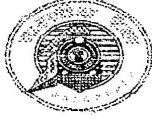


8/10/17



271

1/33/2017

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0स0-4-04
कमांक-33 / 2017

सं0 ई/171/1/भाग-2/चार

दिनांक 10-03-2017

सचिव/महाप्रबन्धक,
सचिव/अपर महाप्रबन्धक,
सती पिनगावदा,
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक,
सभी कार्मिक अधिकारी,
सती मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना,
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-प्राइवेट अस्पतालों का पैन्लबद्ध करने के लिए समझौता ज्ञापन के
एक समान फार्मेट को अपनाना।

रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2016/एच-1/11/69/हॉस्पिटल रिकोगनीशन
दिनांक 23.12.2016 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(ए0 के0 सिंह)

उपमहाप्रबन्धक/अराज
कृत महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन ई रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पुडर/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेलवे एसोसिएशन/पुडर/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एसोसिएशन/गोरखपुर 02 प्रतियों में।
- 5- मुकायाफा/एमपी का बजट पर अपलोड हेतु - 01 प्रत में।

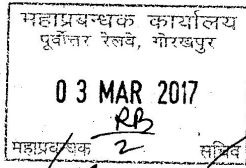
कृत महाप्रबन्धक/कार्मिक

Letter

274

21/3/17

09/3/2017



CMD, CPD

2
33/2017

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

8/3/17

सचिव
महाप्रबंधक

08/03/17
OS/Kulling

सं. 2016/एच-1/11/69/हॉस्पिटल रिकोगनीशन

दिनांक 23.12.2016

VER

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

33

विषय: प्राइवेट अस्पतालों को पैनेलबद्ध करने के लिए समझौता जापन के एक-समान फॉर्मेट को अपनाना।

दिनांक 05.10.2015 के पत्र सं. 2014/एच-1/19/3/पीएनएम के तहत महाप्रबंधकों को सीजीएचएस के पैनेलबद्ध प्राइवेट अस्पतालों को पैनेलबद्ध करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थी। इस पत्र के साथ समझौता जापन का नमूना भी परिपत्रित किया गया था।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को आपात स्थिति में चिकित्सा देखभाल सहज रूप से उपलब्ध कराने के लिए रेलवे बोर्ड ने दिनांक 14.07.2016 के पत्र सं. 2014/एच/28/1/स्मार्ट कार्ड/पार्ट ए के तहत सीटीएसई की नीति को अनुमोदित किया था। इस पत्र के साथ भी एक समझौता जापन परिपत्रित किया गया था। अतः, इस समय रेलवे के पास दो तरह के समझौता जापन मौजूद हैं, जिन्हें प्राइवेट अस्पतालों को पैनेलबद्ध करते समय उनके साथ संविदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

बोर्ड कार्यालय ने इस मामले पर विचार किया है और इन दोनों अलग-अलग समझौता जापनों के स्थान पर एक एकीकृत समझौता जापन का ड्राफ्ट (प्रतिलिपि संलग्न) तैयार किया है, जिसका अब से प्राइवेट अस्पतालों को पैनेलबद्ध करते समय उपयोग किया जाएगा। इस समझौता जापन की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- इसमें सभी लाभार्थी, सेवारत कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य जिन्हें इन अस्पतालों में भेजा जाना अपेक्षित हो, शामिल हैं।
- किसी अस्पताल को रेलवे की किसी इकाई द्वारा एक बार मान्यता प्रदान कर दिए जाने पर वह अस्पताल समग्र भारतीय रेलवे के लिए पैनेलबद्ध हो जाएगा। प्रत्येक इकाई अपने द्वारा पैनेलबद्ध किए गए अस्पतालों की सूची को मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल द्वारा अनुरक्षित वेबसाइट पर अपलोड करेगी, जहां इसे कोई भी देख सकता है।

120

522
24/3/17

3
23/2017

- रेफरल पत्रों को मौजूदा नियमों के अनुसार यथोचित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् वेबसाइट के माध्यम से भी रेलवे चिकित्सा विभाग के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जनरेट किया जा सकता है।
- बिल प्रोसेसिंग एजेंसी(बीपीए) के रूप में मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल, जो बिलों को पास करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली को विकसित करेगी, को शामिल करके बिल प्रोसेसिंग प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है।

नोट: अंतिम तीन बिंदु वेबसाइट के चालू होने के पश्चात् परिचालित होंगे, जिसके विषय में यथा समय पर सूचित किया जाएगा।

सभी जोनों और उत्पादन इकाइयों को अपने पहले से ही पैनलबद्ध प्रत्येक अस्पताल के साथ नया समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करना अपेक्षित होगा। प्रत्येक इकाई पहले से ही पैनलबद्ध अस्पताल को नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुरोध करे। यदि अस्पताल नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से सहमत नहीं होता है तो पुराना समझौता ज्ञापन ही परिचालन में रहेगा। भविष्य में, सभी निजी अस्पतालों (चाहे वे सीजीएचएस पैनलबद्ध हों या नहीं) के साथ नए एकीकृत समझौता ज्ञापन का ही पालन किया जाएगा।

जोनों को उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित सीजीएसएस अस्पतालों के अलावा ईसीएचएस और ईएसआई मान्यताप्राप्त अस्पतालों को भी पैनलबद्ध करने के लिए एतद्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती हैं। इकाइयां, इन सभी अस्पतालों से रजिस्टर्ड पोस्ट (और अन्य साधनों से जो भी उपयुक्त समझे जाएं) के माध्यम से संपर्क करें और उन्हें रेलवे की योजना का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करें।

सीएसटीई के दिनांक 14.07.2016 के पत्र में यह निर्धारित किया गया है कि देश के प्रत्येक जिले से कम-से-कम एक अस्पताल पैनलबद्ध किया जाना चाहिए। सभी सीजीएचएस, ईसीएचएस और ईएसआई पैनलबद्ध अस्पतालों को पैनलबद्ध किए जाने के पश्चात् यदि, कोई जिला छूट जाता है और वहां अस्पताल को पैनलबद्ध किए जाने की आवश्यकता महसूस की जाती है तो वह रेलवे इकाई, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह जिला आता है अथवा निकटस्थ की रेलवे इकाई उस जिले के निजी अस्पतालों से आवेदनपत्र आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देगी। यही प्रक्रिया, उन जिलों, जहां पहले से ही मान्यताप्राप्त अस्पताल हैं परंतु संबंधित रेलवे इकाई द्वारा और अधिक मान्यताप्राप्त अस्पतालों की आवश्यकता महसूस की जाती है, में भी अपनाई जा सकती है। न्यूनतम मानदंड सीजीएचएस के दिशानिर्देशों के अनुसार रहेंगे। बहरहाल, हो सकता है कुछ जिलों में इन मानकों को पूरा करने वाला अस्पताल मौजूद न हो, तो ऐसे मामलों में सीएमडी/सीएमओ को कुछ शर्तें हटाने का अधिकार होगा। परन्तु, यदि सीएमडी/सीएमओ को कोई उपयुक्त अस्पताल नहीं मिलता है तो रेलवे कुछ जिलों में अस्पताल को पैनलबद्ध नहीं करेगी। गैर-सीजीएचएस/ईसीएचएस/ईएसआई पैनलबद्ध अस्पतालों को मान्यता प्रदान करने के प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजे जाते रहेंगे। यदि कोई प्रतिष्ठित अस्पताल रेलवे

4
23/12/17

प्रशासन से संपर्क करता है और यदि ऐसा करना वांछनीय समझा जाता है तो सीएमडी/सीएमओ, तीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की एक समिति गणितकर उसे पैनलबद्ध करने की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है।

ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां सरकार/स्वायत्त संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित अस्पताल की अपनी दरें, सीजीएचएस से भिन्न हो सकती हैं। इन परिस्थितियों में यदि कोई अस्पताल सीजीएचएस की दरों पर सेवा उपलब्ध कराने को तैयार नहीं होता है तो अस्पताल की दरों को अपनाया जा सकता है। ऐसे मामलों में अलग दरों की व्यवस्था करने के लिए इस पत्र के साथ संलग्न एकीकृत समझौता जापन में समुचित आशोधन किया जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

हरिप्रसाद सन्तोत्रा
(श्रीमती एच. के. सन्तोत्रा)

उप निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
रेलवे बोर्ड

सं. 2016/एच-1/11/6/हॉस्पिटल रिकोगनीशन

नई दिल्ली, दिनांक 23.12.2016

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. मुख्य चिकित्सा निदेशक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

हरिप्रसाद सन्तोत्रा
(श्रीमती एच. के. सन्तोत्रा)

उप निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
रेलवे बोर्ड

सं. 2016/एच-1/11/6/हॉस्पिटल रिकोगनीशन

नई दिल्ली, दिनांक 23.12.2016

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि एफ(ई) स्पेशल शाखा एवं स्वास्थ्य शाखा रेलवे बोर्ड को प्रेषित ।

5
33/2017

अनुलग्नक - 1.1

पैनलबद्ध अस्पताल में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

स्पष्ट आपात स्थिति में रोगी पैनलबद्ध अस्पताल में, नए प्लास्टिक सीटीएसई फोटो-पहचान कार्ड, जिसमें विशिष्ट सीटीएसई कार्ड नम्बर होता है, के साथ रिपोर्ट करता है और वार्ड की अपनी पात्रता के अनुसार कुछ राशि जमा कराता है।
सीटीएसई कार्ड में बारकोड/क्यूआर कोड के रूप में भी सभी संगत सूचना होती है।

समझौता ज्ञापन में दिए गए अनुदेशों के अनुसार अस्पताल, कैशलेस स्कीम (सीटीएसई) के लिए मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल द्वारा अनुरक्षित वेबसाइट पर लॉगऑन करता है। अस्पताल रोगी के कार्ड को कार्ड रीडर में डालता है, जिसमें संबंधित विवरण स्वतः ही कैप्चर हो जाएगा और साइट पर भेजा जाएगा, रोगी के डिजीटल फिंगर प्रिंट भी भेजे जाएंगे। साइट इसके डाटाबेस को सर्च करती है और रोगी की पहचान तथा पात्रता की पुष्टि करती है (बैकेंड यूआईआईटीएसई वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाएगा)। अस्पताल द्वारा, रोगी/रिश्तेदार द्वारा दिया गया मोबाइल नम्बर भी वेबसाइट पर दर्ज किया जाएगा।

अस्पताल, 4 घंटे के भीतर रोगी की क्लीनिकल रिपोर्ट तैयार करता है जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। क्लीनिकल रिपोर्ट की जांच के लिए तत्काल उस अस्पताल के लिए रेलवे के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी को एक एसएमएस प्राप्त होता है। रोगी को भी एक एसएमएस प्राप्त होता है कि अस्पताल द्वारा क्लीनिकल रिपोर्ट प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी को भेज दी गई है। इसके साथ रेलवे चिकित्सक का नाम तथा उसका मोबाइल नम्बर भी भेजा जाता है।

यदि मामला निर्धारित आपात परिस्थिति के अंतर्गत आता है तो सहायक चिकित्सा अधिकारी वेबसाइट पर उपचार प्राधिकृत करता है। रोगी को एसएमएस प्राप्त होता है और अस्पताल को ऑनलाइन प्राधिकार मिलता है।

अस्पताल द्वारा रोगी का इलाज किया जाता है आरंभ में जमा की गई राशि को वापस किया जाता है और रोगी को डिस्चार्ज किया जाता है। मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल को ऑनलाइन बिल प्रस्तुत किया जाता है जो बिलों की जांच करता है और यदि आवश्यक हो तो इन्हें सही कराता है और संतुष्ट होने के पश्चात् इसे रेलवे के चिकित्सा विभाग को भेजता है। अस्पताल बिल की मूल प्रति को संबंधित सीएमएस को प्रस्तुत करता है।

वित्त की सहमति के पश्चात् अस्पताल को बिल का भुगतान किया जाता है और स्वीकृत दरों के अनुसार शुल्क की काटी गई राशि का भुगतान मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल को किया जाता है।

यदि मामला निर्धारित आपात परिस्थिति के अंतर्गत नहीं आता है, तो सहायक चिकित्सा अधिकारी, प्राधिकार देने से इनकार करता है और अस्पताल को यह सलाह दी जाती है कि रोगी को या तो एम्बुलेंस में रेलवे अस्पताल में भेज दें अथवा रोगी को सुविधाजनक समय और तारीख को रेलवे अस्पताल में रिपोर्ट करने के लिए कहें। साथ ही यही सूचना एसएमएस के माध्यम से रोगी को भी दी जाती है।

अस्पताल उस समय तक की गई जांचों और किए गए उपचार के बिल प्रस्तुत करता है। आरंभ में जमा की गई राशि (रोगी द्वारा कराई गयी) को समायोजित करने के पश्चात् बकाया राशि को रेलवे द्वारा क्लियर किया जाएगा। यदि रोगी इस अवधि के बाद भी अपना उपचार जारी रखना चाहता है, तो बाद की उस अवधि के लिए रोगी द्वारा समझौता ज्ञापन में निर्धारित दरों पर समूचे बिल का भुगतान किया जाएगा।

मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल बिलों की जांच करता है। यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि रोग की पहचान करने के लिए न्यूनतम जांच की गई थी, इसे सीएमएस कार्यालय को भेजता है। अनावश्यक जांचों और उपचार की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। बाकी कार्यवाही उसी प्रकार की जाती है।

नोट: उपर्युक्त प्रक्रिया को अनुलग्नक 2 में और आगे स्पष्ट किया गया है।

6
33/2017

अनुलग्नक - 1.2

एमएस से रेफर हुए बिना गैर-आपात स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

(ऐसे मामलों में सामान्यतः रोगी से आशा की जाती है कि वह रेलवे अस्पताल में आए। जिन मामलों में रोगी गलती से पैनलबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में चला जाता है, उन्हें कवर करने के लिए यह प्रावधान रखा गया है।)

रोगी विशिष्ट कार्ड नम्बर वाले सीटीएसई कार्ड के साथ पैनलबद्ध अस्पताल में रिपोर्ट करता है।

↓
इस संबंध में अनुदेश हैं कि अस्पताल को इस स्कीम के लिए मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल द्वारा अनुरक्षित वैबसाइट को लॉग-इन करना चाहिए। अस्पताल, रोगी का विशिष्ट नम्बर देता है। साइट अपने डाटाबेस को सर्च करता है और रोगी की पहचान तथा पात्रता की पुष्टि करता है।

↓
यदि स्पष्ट होता है कि रोगी की कोई आपात मेडिकल स्थिति नहीं है तो रोगी सुविधाजनक समय पर रेलवे अस्पताल जाए। अन्यथा रोगी द्वारा धर्म जमा कराने के बाद (पात्रता के अनुसार) अस्पताल उसे एडमिट करेगा और अनिवार्य जांच करेगा ताकि डाएग्नोसिस तक पहुंचा जा सके। एक बार यह पता लग जाने के बाद कि रोगी किसी आपात मेडिकल स्थिति में नहीं है तो वह रोगी को डिस्चार्ज कर देगा और उसे रेलवे अस्पताल जाने का निर्देश देगा अथवा उसे एम्ब्यूलेंस में रेलवे अस्पताल भेजेगा। ऐसे मामलों में अस्पताल में जमा की गई राशि को बिल के आंशिक भुगतान के रूप में अपने पास रख लेगा।

↓
मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल, अस्पताल द्वारा दिए गए बिलों की जांच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई अनावश्यक जांच तो नहीं की गई है। डाएग्नोसिस का पता लगाने के लिए की गई न्यूनतम जांच के बिलों के भुगतान की कार्रवाई रेलवे द्वारा की जाएगी।

↓
मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल द्वारा क्लियर किए गए बिल को ऑन-लाइन और प्रतिलिपि रूप में सीएमएस/एमडी/सीएमओ कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा। जो उससे संतुष्ट होने पर उसे लेखा को एसोसिएट जांच करने तथा अस्पताल को भुगतान करने के लिए भेजेगा। यदि कार्ड किसी भिन्न रेलवे पर रजिस्टर हो तो ऐसी स्थिति में वित्त विभाग आन्तरिक लेखांकन के प्रयोजन के लिए डेबिट नोट प्रस्तुत करेगा। मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल का प्रभार बिल की राशि का 2% होता है जो न्यूनतम 12.50 रुपये तथा अधिकतम 750/- रुपये है, साथ ही एसएमएस के लिए प्रति बिल 1/- रुपये का प्रभार लगाया जाता है। रेलवे द्वारा प्रति बिल 1 रुपये की इस राशि का भुगतान किया जाएगा।

7
33/2017

अनुलग्नक - 1.3

प्रस्तावित सिस्टम को स्थापित करने के लिए बैकेंड प्रक्रिया

मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल सॉफ्टवेयर अपलोड करता है ताकि आरईएलएचएस के लाभार्थी, सीटीएसई आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकें। इस साइट का लिंक रेलवे की सभी वेबसाइट पर मुहैया कराया जाता है।

↓
कार्मिक विभाग समाचारों और मास मीडिया में विज्ञापनों को जारी करके आरईएलएचएस के लाभार्थियों को आपात स्थिति में कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करता है। ऑनलाइन सीटीएसई आवेदन के लिए विभिन्न रेलवे वेबसाइटों पर एक लिंक मुहैया कराया जाएगा।

↓
आधार कार्ड, पीपीओ और आरईएलएचएस कार्ड की प्रतिलिपि और शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कार्मिक विभाग: 1. ब्यौरों की पुष्टि करेगा 2. मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल को नया सीटीएसई फोटो-पहचान पत्र जनरेट करने के लिए प्राधिकृत करेगा 3. मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल आधार नम्बर से डाटाबेस और अन्य ब्यौरें, यदि उपलब्ध न हों, को अपडेट करेगा (नाम, आयु, सेवानिवृत्ति की तारीख, अंतिम आहरित वेतन आदि का ब्यौरा पहले से होता है) 4. मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी को नया प्लास्टिक फोटो पहचान पत्र जारी करेगा।

↓
साथ ही मेडिकल विभाग देशभर में निकटस्थ सीजीएचएस सिटी दर पर सभी सीजीएचएस अस्पतालों (यदि ज्यादा अपेक्षित हों) को पैनलबद्ध करेगा। चिकित्सक विभाग, अस्पतालों के साथ एक एमओयू करेगा जिसमें आपात स्थिति तथा भुगतान की शर्तें निर्धारित की जाएंगी।

↓
मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल, विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्धारित उपचार प्रक्रिया के अनुसार सॉफ्टवेयर को विकसित करेगा। यह साइट 'अर्पण' के डाटा बेस का इस्तेमाल करेगा।

नोट: कार्मिक विभाग 'अर्पण' के डाटाबेस को निरन्तर अपडेट करेगा। मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल को समय-समय पर 'अर्पण' के डाटाबेस से सम्बद्ध किया जाएगा और उसे अपडेट किया जाएगा।

↓
ज्योंही कार्मिक विभाग द्वारा मैसर्स यूटीआईआईटीएसएल को डाटाबेस मुहैया करा दिया जाता है, यह स्कीम शुरू हो जाएगी। नए कार्ड जारी किए गए सभी लाभार्थी को तत्काल प्रभाव से कैशलेस स्कीम का इस्तेमाल कर सकेंगे।

8
33/2017

अनुलग्नक - 1.4

एएमए से रेफर हुए बिना गैर-पैनलबद्ध अस्पताल में आपात स्थिति में जाने की स्थिति में
अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

रोगी गैर-पैनलबद्ध अस्पताल में रिपोर्ट करता है।



चूंकि वह पैनलबद्ध अस्पताल नहीं है इसलिए रोगी का इलाज किया जाता है और उससे प्रभार
लिया जाता है।



डिस्चार्ज होने के बाद रोगी प्रतिपूर्ति का दावा करता है, जिस पर विद्यमान नियमों के अनुसार
कार्रवाई की जाती है।